ए-12013/16/2017-प्रशासन I (बी)

भारत सरकार

नीति आयोग

नीति आयोग संविदा आधार पर नीति आयोग में यंग प्रोफेशनल्स को कार्य पर रखने का इच्छुक है। पदों, शर्तों, नियोजन की अवधि, पात्रता, अनुभव आदि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1	पद का नाम	यंग प्रोफेशनल
2	पदों की संख्या	**नीति आयोग: 25 (अनुमानित - वास्तविक संख्या इससे भिन्न हो सकती है)**
3	भर्ती की पद्धति	खुले बाजार के माध्यम से संविदा आधारित।
4	आयु सीमा	1 जुलाई, 2017 को अभ्यर्थियों की आयु 32 वर्ष से कम होनी चाहिए।
5	संविदा की अवधि	प्रारंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए (कार्य-निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिश पर एक बार में एक वर्ष बढ़ाते हुए इसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है)। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष पूरा होने से पहले छोड़कर चला जाता है तो उसे कोई कार्य प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा।
6	पारिश्रमिक (प्रति माह)	प्रारंभ में 60,000 रु. प्रति माह की समेकित राशि जिसमें परिवहन भत्ता और सभी कर शामिल हैं। संतोषजनक कार्य-निष्पादन के आधार पर वार्षिक रूप से 5000/- रु. की बढ़ोतरी की जाएगी।
7	शैक्षिक अर्हताएं	<u>अनिवार्य</u> i. संगत विषय में मास्टर डिग्री अथवा संगत क्षेत्र/विषय में तकनीकी अर्हताएं जैसे कि बी.टेक, एमबीए अथवा समकक्ष। <u>वांछनीय</u> i. नीचे दिए गए कार्य विवरण में यथा-निर्धारित संगत क्षेत्र में एम.फिल या अतिरिक्त अर्हताएं, अनुसंधान अनुभव, प्रकाशित पेपर और अर्हता-उपरांत अनुभव।
8	अनुभव	कार्य विवरण के अनुकूल न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव। व्यापक कार्य अनुभव नीति आयोग को सौंपे गए कार्यात्मक क्षेत्रों से संबंधित होंगे। जिनके पास संगत क्षेत्र में कार्य के साथ-साथ प्रकाशित कार्य / नीति पत्र / परियोजनाओं और स्कीमों के मूल्यांकन/अनुवीक्षण का अनुभव होगा,उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
9	कार्य विवरण	यंग प्रोफेशनल्स से यह अपेक्षित होगा कि वे कृषि / अर्थशास्त्र / वित्त / शिक्षा / स्वास्थ्य / पोषण / महिला और बाल मुद्दे / समाज विज्ञान /अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी / शहरी आयोजना / अवसंरचना/ पर्यावरण / ग्रामीण विकास /डेटा विश्लेषण/ परियोजना

		प्रबंधन/ स्टार्ट-अप / नवप्रवर्तन आदि जैसी विधाओं में उच्चस्तरीय इनपुट उपलब्ध कराएं। इसके लिए आवेदकों को अपनी शैक्षिक कुशलता, पेशेवर उपलब्धियां और नेतृत्व के गुणों को प्रमाणित करना होगा।

यंग प्रोफेशनल्स की सेवाएं लेने के नियम और शर्तें नीति आयोग के दिनांक 23.07.2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-12013/02/2015-प्रशासन-I (बी) के अनुरूप होंगी। ये दिशानिर्देश नीति आयोग की वेबसाइट www.niti.gov.in पर उपलब्ध हैं। नीति आयोग को अनुबंध किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार होगा। सामान्य वित्त नियम, 2017 के उपबंध लागू होंगे।

नोटः आवश्यक होने पर अभ्यर्थियों के आवेदन अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ उनके उपयोग हेतु साझा किए जा सकते हैं।

आवेदन की प्रस्तुतिः केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पात्र अभ्यर्थी समाचार-पत्र में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख़ से 21 दिन के भीतर नीति आयोग की वेबसाइट पर मौजूद लिंक पर जाकर आवेदन करें।